

सं0सं0-7/सदर-23-01/2016-110(7)07

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि पत्र

विभागीय आवंटनादेश संख्या-109(7)ब दिनांक-23.03.17 के कडिका-1 में अंकित सदर एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में कार्यरत के अलावा रेफरल अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत ममता कार्यकर्त्ताओं के मानदेय भुगतान हेतु जोड़कर पढ़ा जाय ।

उक्त आवंटनादेशों को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

आवंटनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।

( सच्चिदानंद चौधरी )  
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक- 110(7)0

पटना, दिनांक- 24-03-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- सभी सदर/अनुमंडलीय अस्पताल के अधीक्षक/उपाधीक्षक/ अधीक्षक, एम0 जे0 के0 अस्पताल, बेतिया /अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-7, 12 एवं कार्यवाह सहायक /आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव